संख्या-9/2015/878/26-3-2015-4(215)/90-टी0सी0-III

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,समाज कल्याण,उ0प्र0।
2. निदेशक,जनजाति विकास,उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2015

विषयः- शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं ग्रुप 04के पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु आवेदन करने से लेकर धनराशि अन्तरण करने की समय-सारिणी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जैसा कि आप अवगत है कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक-18 मार्च 2015 को आहूत की गयी थी। उक्त बैठक का कार्यबृत्त समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक-861/26-3-2015, दिनांक-24-3-2015 द्वारा निर्गत किया गया है। वर्ष 2015-16 से मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों का शैक्षिक सत्र अप्रैल माह से प्रारम्भ कर दिये जाने के दृष्टिगत उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र सं	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कक्षा 10 व 12 के छात्रों के नवीनीकरण हेतु समयावधि	कक्षा 9 व 11 के नये छात्रों के आवेदन हेतु समयावधि
1	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	15 अप्रैल से 15 मई, 2015 तक	15 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक
2	आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	16 मई से 25 मई, 2015 तक	16 जून से 25 जून तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 जून, 2015 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम 01 जुलाई, 2015 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	15 अप्रैल से 07 जून, 2015 तक	15 अप्रैल से 07 जुलाई, 2015 तक
5	शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना	15 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक	15 अप्रैल से 15 जुलाई, 2015 तक
6	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	16 जून से 15 जुलाई, 2015 तक	16 जुलाई से 25 अगस्त 2015 तक
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	15 जुलाई, 2015 तक	25 अगस्त, 2015 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं शुद्व डाटा के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	25 जुलाई, 2015 तक	20 सितम्बर, 2015 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	31 जुलाई 2015 तक	25 सितम्बर, 2015 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	07 अगस्त, 2015 तक	30 सितम्बर, 2015 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा	15 अगस्त, 2015 तक	15 अक्टूबर, 2015 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।		

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार

प्रमुख सचिव

पृ0संख्या- 9/2015/878(1)/26-3-2015 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुखसचिव/सचिव,पिछड़ावर्गकल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।